

राजस्थान सरकार  
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :- प.10(1)आयु./2013

जयपुर, दिनांक:- 01.07.2019

—:आदेश :-

डॉ. विक्रम शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, केकडी-अजमेर दिनांक 14.05.2012 से स्वेच्छा से अनुपस्थित चल रहे हैं। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86(4) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए नोटिस क्रमांक 8309-315 दिनांक 15.11.2018 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाकर डॉ. विक्रम शर्मा को ड्यूटी पर उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु डॉ. विक्रम शर्मा न तो उपस्थित हुए हैं और न ही कोई लिखित स्पष्टीकरण/अभिकथन अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि डॉ. विक्रम शर्मा राज्य सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं।

अतः राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86(4) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ. विक्रम शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, केकडी-अजमेर की अनुपस्थिति तिथि 14.05.2012 से राज्य सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ मानते हुए, उनका सेवा से त्यागपत्र एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

आज्ञा से,  
एस.डी.  
(एच.एम.ढाका)  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1/हो.चि./वि.जांच नि.16/2016/ 3213-25 दिनांक:- 4.7.19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश क्रमांक प.10(1)आयु./2013 दिनांक 01.07.2019 के क्रम में सूचनार्थ।
4. संबंधित, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, डॉ. विक्रम शर्मा, 96 नीलकण्ठ कॉलोनी, क्वीन्स रोड, पुरानी चुंगी नाके के पास, जयपुर/281 द्रोणपुरी असल दुर्ग गैस गोदान रोड, 200 फीट सीकर बाईपास अजमेर रोड, जयपुर/म.नं. 54 सर्वेश्वर नगर, अजमेर।
5. डॉ. संतोष नाथ, विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैवसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैवसाइट पर आज ही अपलोड करावे।
6. कार्यालय की लेखा/कैश/विधी/सामान्य/स्टोर/प्रति-11 शाखा।
7. संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(डॉ. मनीषा सक्सैना)  
कार्यालयाध्यक्ष एवं सहायक निदेशक